न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :— ओमप्रकाश सहारण (आरएएस)

मु.सं. 46/2011 निर्णय दिनांक :— 11-7-19

उनवान

1. कमला देवी पुत्री ग्यारसा पत्नि महादेव जाति — बैरवा, निवासी — भगवानपुरा, तहसील चाकसू जिला जयपुर।

........वादी

बनाम

1. चन्दरा पुत्र मांगू जाति — चमार, निवासी पृथ्वीपुरा, तहसील चाकसू जिला जयपुर।
2. हजारीलाल पुत्र श्री हरचंदा जाति — कोली, निवासी गैटार कैलाश नगर आगरा रोड, विजयपुरा, जिला जयपुर।
3. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चाकसू, जिला जयपुर।
4. उपपंजीयक कोटखावदा, तह0 चाकसू जिला जयपुर।

——प्रतिवादीगण

Signature Not Verified

दावा बाबत घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा

Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:55:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

D:\Office\CRT\KAMLA VS CHANDRA.docx

यह कि वादी का निम्न प्रकार प्रस्तुत किया :–

वादिया के पिता ग्यारसा पुत्र लाखा जाति– चमार की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 24 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 42 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 97 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा भूमि वाके ग्राम पृथ्वीपुरा, तहसील चाकसू जिला जयपुर में स्थित है। जिसमे वादिया के पिता ग्यारसा पुत्र लाखा का हिस्सा 1/2 था, जिसके वर्तमान खसरा नबर 78 रकबा 0.60 है0, खसरा नम्बर 198 रकबा 0.29 है0, खसरा नम्बर 268 रकबा 0.61 हे0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.50 है0, भूमि है। जो वाद के वादग्रस्त भूमि से संबोधित किया गया है। वादिया के पिता ग्यारसाजी के कोई जायन्दा पुत्र नही था, केवल चार लडकिया ही थी, जिनमें से तीन का देहान्त हो गया है व वादिया ही अब एक मात्र जीवित संतान है। जो उक्त आराजी पर काबिज काश्त करती आ रही है। वादिया का परिवार खानदान निम्न प्रकार पेश है :–

ग्यारसा (फौत)

↓

कमला (वादिया)

उपरोक्त परिवार स्व0 ग्यारसा जी के मात्र चार लडकिया थी। इनके कोई पुत्र नही था। जिसमें मात्र एक लडकी वादिया ही शेष रही है। वादिया ही अपने पिता की सेवाभाव तथा क्रियाकम किया था। तब से ही वादिया उक्त पिताजी के 1/2 हक व हिस्सा पर काबिज काश्त करती चली आ रही है। वादिया हिन्दू

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:55:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

परिवार के सदस्य है। जिससे वादिया का उक्त आराजी में जन्मजात हित निहित है।

वादिया के पिता ग्यारसा पुत्र लाखा के नाम सम्वत 2033 से 2036 में 1/2 भाग की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही थी। इनके जायन्दा कोई पुत्र नही था। इनके मात्र चार पुत्रियॉ थी। इनके अलावा और कोई जायन्दा कानूनन वारिस एव उत्तराधिकारी नही है। मात्र वादिया ही एक मात्र कानूनन वारिस एवं उत्तराधिकारी हैं वादिया के पिता ग्यारसा ने अपने जीवन काल में कोई वसीयत, गोदनामा तथा कोई विक्रय पत्र इत्यादि नही किया था। उसके मात्र उनकी पुत्रियॉ ही उनके जीवनकाल में सेवा भाव तथा इनके क्रियाक्रम किया था। तथा नुक्ता भी किया था। उसके बावजूद प्रतिवादी संख्या 1 ने जालसाजी तथा कर्मचारियों से सांठ – गाठ करके फर्जी तरके से वादिया के पिता का फर्जी पुत्र बनकर अपने नाम नामान्तकरण खुलवा लिया। जबकि प्रतिवादी नं 1 हमारे परिवार खानदान में भी नही है। जिससे प्रतिवादी संख्या 1 ने जो कार्यवाही की है वो वादिया के अधिकारों के मुकाबले अवैध व शून्य है। प्रतिवादी संख्या 1 मांगू का जायन्दा पुत्र है। जिन्होनें राजस्व कर्मचारियों से सांठ गांठ करके अपना नाम चंदरा पुत्र मांगू व चन्दा पुत्र ग्यारसा राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा लिया। जबकि चन्दरा व चन्दा एक ही व्यक्ति है। जिनके पिता का नाम मांगू ही है। जिन्होंने जालसाजी से ग्यारसा की जमीन में फर्जी चन्दा बनकर उसका पुत्र फर्जी बनकर उसकी जमीन का नामान्तकरण खुलवा लिया। जबकि उसके हक में ग्यारसा ने कोई दस्तावेज नही करवाकर गया था। जिससे वादिया उक्त आराजी में

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:55:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

अपने नाम चन्दा पुत्र ग्यारसा के नाम 1/2 भाग की खातेदारी अपने नाम घोषित करावे। तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे। प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त आराजी को जालसाजी से तथा गुपचुप तरीके से दिनांक 10.01.2011 को प्रतिवादी संख्या 1 को प्रतिवादी संख्या 2 के नाम चंदा पुत्र ग्यारसा बनकर विक्रय पत्र तस्दीक करवा दिया। तथा दिनांक 05.01.2011 को यही व्यक्ति चन्दरा पुत्र मांगू नाम प्रतिवादी संख्या 2 को विक्रय पत्र तस्दीक करवाया था। जबकि ये व्यक्ति एक ही है। जिसे उक्त विक्रय पत्र दिनांक 05.01. 2011 वादिया के अधिकारों के मुकाबले शूरू से ही अवैध एवं प्रभावशून्य है। वादिया तो अपे पिताजी के जीवनकाल से ही अपने पिता का 1/2 हक व हिस्सा पर काबिज रहकर काश्त करती चली आ रही थी। वादिया अनपढ महिला होने से तथा कानून की जानकी के अभाव में प्रतिवादी संख्या 1 ने गुपचुप तरीके से वादिया के पिता का फर्जी पुत्र बनकर नामान्तकरण खुलवा लिया। दिनांक 19.01.2011 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 आये और कहने लगा कि तुम्हारे नाम कोई जमीन नही है। मेरे नाम जमीन थी, जिसको मेने इस व्यक्ति को बेच दिया। तथा अब तुम्हें बेदखलकर कब्जा करवाकर रहूँगां तुम चाहे सो कर लेना। वादिया के लिये आवश्यक हो गया कि वो विवादित आराजी में चन्दा पुत्र ग्यारसा के नाम की 1/2 भाग की खातेदारी घोषित करावे। तथा प्रवितादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे। जिससे वादी के कब्जा [illegible] में किसी भी प्रकार की दखलदांजी मजामहत [illegible] करावे। वादिया के लिये वाद कारण दिनांक 19.01.2011 [illegible] प्रतिवादीगण द्वारा ऐलानिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:55:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

धमकी देने तथा जमीन का बेचान करने के लिये कहने पर उत्पन्न हुआ, जिसमे वाद श्रीमान के समक्ष पेश करना आवश्यक है। प्रतिवादी संख्या 3 भूमिधारी है। तथा प्रतिवादी संख्या 4 उपपंजीयन शाखा होने से पक्षकार बनया गया है। इनके खिलाफ दावे में कोई रिलिफ नही चाही है। विवादित आराजी श्रीमान के क्षेत्राधिकार मान्य न्यायालय हाजा में स्थित होने से मान्य न्यायालय हाजा को सुनवाई का क्षेत्राधिकार हासिल है। वाद बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 78, 178, 268 कुल किता 3 कुल रकबा 1.50 है0, भूमि वाके ग्राम पृथ्वीपुरा, तहसील चाकसू जिला जयपुर में वादिया को चन्दा पुत्र ग्यारसा का 1/2 हक व हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वो वादिया के कब्जा काश्तों में किसी प्रकार की दखलदांजी एवं मजाहमत बैजा न स्वयं करे न अन्य से करावे। वादिया का घोषित 1/2 भाग का विधिवत तकासमा फरमाया जावे तथा अलग खाता व लगान तय किया जावे। दावा वादी वकील द्वारा पेश किये जाने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तो प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं दिनांक 30.03.2011 को हाजीर आया व प्रतिवादी संख्या 2 की रजिस्टर्ड तामील करवाये जाने के बाद भी हाजीर नही हाने पर दिनांक 01.01.2019 को एक तरफा कार्यवाही की गयी व प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा जवाब पेश नही किये जाने पर [illegible] बहस में नियत किया गया व बहस दावा वकील [illegible] वादी ने दावे का समर्थन करते हुए कथन किया कि ग्या[illegible]ा के एक मात्र वारिस वादीनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:55:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

है प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीनी के पिता की जमीन गलत तरीके से अपने नाम लगवा ली, वादीनी के पिता किसी को भी गोद नही लिया था, वादीनी ही एक मात्र ग्यारसा की वारिस है जिसे ग्यारसा द्वारा छोडी गयी सम्पत्ति की एक मात्र वारिस होने से दावा वादी डिक्री फरमाया जावे। वादीनी ने दावा के समर्थन में ग्राम पृथ्वीपुरा का मिला क्षेत्रफल 2051–70, जमाबंदी संख्या 2063–66 जमाबंदी संवत 2033–36 दरख्वास्त नामानतकरण खोलने बाबत। विक्रय पत्र की नकल फोटो प्रति, के दस्तावेज बतौर सबूत पेश किये गये।

वकील वादी की बहस पर मनन किया व दावा एव प्रस्तुत दस्तावेज का परीक्षण किया गया तो वादग्रस्त भूमि वादिया के पि ग्यारसा पुत्र लाखा चमार के नाम जमाबंदी संवत 2063–66 2033–36 के नाम खातेदारी में दर्ज रिकार्ड था। वादिया के ग्यारसा के कोई पुत्र संतान नही थी। एक मात्र वारिस वादीनी वादिया के पिता ग्यारसा ने अपने जीवन काल में काई गोदनामा तथा कोई विक्रय पत्र नही किया, इसके बावज संख्या 1 ने जालसाजी करके फर्जी तरके से वादिया फर्जी पुत्र बनकर अपने नाम नामानतकरण खुलवा मांगू का जायन्दा पुत्र जो चन्दरा पुत्र म राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा लिया जब एक ही व्यक्ति है। उक्त आराजी को जालसा 2011 को प्रतिवादी संख्या 1 को प्रतिवादी सं ग्यारसा बनकर विक्रय पत्र तस्दीक करवा लि को यही व्यक्ति चन्दरा पुत्र मांगू प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:35:03 IST
Reason: SelfAttested

करवाया जबकि व्यक्ति एक ही है। उक्त विक्रय पत्र 05.01.2011 का वादिया के अधिकारों के मुकाबले शूरू से ही अवैध है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि वादिया के पिता के द्वारा छोडी गयी भूमि है जिस पर वादिया ही एक मात्र ग्यारसा की वारिस होने से खातेदारी अधिकार प्राप्त करने की अधिकारी है। उपरोक्त विवेचन एवं ग्यारसा की जायन्दा एक मात्र वकील वारिस वादीनी होने से दावा वादी डिक्री किया जाना उचित समझते है। दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 78, 198, 268 किता 3 रकबा 1.50 है0 वाके ग्राम पृथ्वीपुरा तहसील कोटखावदा में वादिया को चन्दरा पुत्र ग्यारसा के नाम 1/2 हक व हिस्सा का वादिया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। निर्णय अनुसार डिक्री जारी हो निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी

चाकसू

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:55:03 IST
Reason: SelfAttested